चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

NAAC A++
Email.:-ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in website: - www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांकः Ro/1433 /2026–27 दिनांक : 17/08/2026

सेवा में,
प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव
समस्त सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः–वित्तीय वर्ष/शैक्षणिक सत्र 2026–27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा लॉक किये गये मास्टर डाटा प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याः 91/2026–1941/26.03.2026–1741061 दिनांकः 20.07.2026 का संदर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यलाय/संस्थान के द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड की गयी निम्न सूचनाये उपलब्ध कराने का कष्ट करे, जो निम्न हैः–

02 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एंव स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों का नॉन रिफन्डेबल राशि का शुल्क संरचना (Fee Structure) को प्रमाणित करते हुए प्रेषित करने का कष्ट करे।

03. महाविद्यालयो कें प्रोफाइल की फोटों कॉपी जो छात्रवृत्ति के पोर्टल पर भरा गया है। जिसमें प्राचार्य/प्राचार्य एवं नोडल अधिकरी का नाम अंकित है के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य/प्राचार्या की छायाप्रति (राजकीय अनुदानित महाविद्यालयों को छोड़कर) संलग्न प्रारूप 1 एवं AISHE का प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

04. विषयवार पाठ्यक्रम एवं शुल्क की सूचना जो महाविद्यालय के लॉगिन पर डिजिटली अंकित है के सापेक्ष में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों को विवरण जो विश्वविद्यालय पोर्टल पर अंकित किया गया है कि छायाप्रति एवं पाठ्यक्रमों का सम्बद्धता एवं काउन्सिल (AICTE/NCTE/BCI.) etc. भी प्रेषित करे।

05. महाविद्यालय/संस्थानों के द्वारा लॉक किये गये पाठ्यक्रमों का सम्बद्धता पत्र सम्बद्धता विभाग के द्वारा सत्यापित कराकर प्रेषित करे।

06. प्राचार्य राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के एवं सचिव अथवा अध्यक्ष, स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के द्वारा 100/– का शपथ–पत्र इस आशय से प्रेषित की महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमों के अअनुसार डेटा अग्रसारित किया जायेगा एंव इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो सम्बन्धित महाविद्यालय स्वंय उत्तददायी होगा।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनाएं सत्यापित कराकर प्रत्येक दशा में दिनांकः 20.08.2026 तक श्री एस0पी0 सिंह, एस0सी0 आर0आई0ई0टी0, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति महाविद्यालय/संस्थान स्वयं जिम्मेदार होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
17/8/26
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया जी के संज्ञानार्थ प्रेषित। 17/8/26
2. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) को इस आशय से प्रेषित की प्रत्येक सम्बद्धता पत्र को प्रमातिण करे। 17/8/26
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव